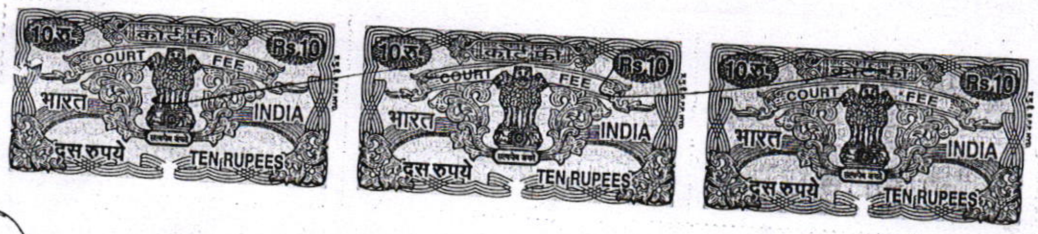

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 1421-I-17

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया

श्रीकृष्ण गुगौरिया पुत्र स्व राधेश्याम गुगौरिया
निवासीगण – रेल्वे स्टेशन रोड जींन प्रेस
दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– फूलचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व रतनलाल अग्रवाल
2– बद्रीप्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व रतनलाल अग्रवाल
निवासीगण–बडा बाजार दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 333/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक द्वारा दिनांक 02.09.1994 में सहायक बंदौबस्त अधिकारी दल क्रमांक 2 दतिया के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया था। कि ग्राम गोविन्दपुर क सर्वे नं. 793/2 रकवा 16 एकड में से रकवा 2.70 आवेदक द्वारा रजिस्ट्री क्रमांक 1388 दिनांक 06.03.1987 में फूलचन्द्र तनय रतनलाल एवं श्रीकृष्ण गुगौरिया तनय राधेश्याम द्वारा समान भाग 1/2 क्रय की गयी थीं। आवेदक के सहखातेदार फूलचन्द्र द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 3/अ–3/1990–91 में दायर कर विक्रीत भूमि के बटे 793/2/1, 793/2/2, 793/2/3, 793/2/4 कायम करा लिये गये है। जिससे असन्तुष्ट होकर आवेदक द्वारा तहसीलदार दतिया के समक्ष आवेदन दिनांक 16.06.1991 प्रस्तुत कर पुनः आदेश पारित किये जाने का अनुरोध करते हुये नायब तहसीलदार दतिया के आदेश दिनांक 22.01.1994 को उक्त बंटाकन आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया। इसी क्रम में तहसीलदार दतिया द्वारा नायब तहसीलदार दतिया के उक्त आदेश दिनांक 27.04.1992 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुसार अभिलेख दुरूस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1421–एक / 2017 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
२३ –10–18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 333 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.05.17 के विरूद्व निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस का अध्ययन किया गया तथा मौखिक तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में देखना यह है कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 333 / अपील / 2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 03.05.17 से स्थगन आदेश जारी करने में किसी प्रकार की बैधानिक त्रुटि की है?, म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 (2) इस प्रकार है :– **धारा 52 (2)–अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके विरूद्व पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाय जितना कि वह ठीक समझे।** 3– उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी	

प्रकरण कमांक निगरानी 1421—एक / 2017 जिला—दतिया

स्वविवेक से धारा 52 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु समर्थ है और इन्हीं शक्तियों के अधीन अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.17 पारित किया है जिसे हस्तक्षेप योग्य नहीं माना जा सकता। प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में संचालित है। प्रकरण का निराकरण गुण दोष पर किया जाना है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 333 / अपील / 2016—17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 03.05.17 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ शीघ्र भेजें। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य